भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1302
दिनांक 09.02.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

कार्यक्रमों के आयोजन के लिए एजेंसियों का चयन

1302. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रनः

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न देशों के साथ वार्ता के संबंध में आयोजित कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मंत्रालय ने इसके भागीदारों के चयन के लिए मानदंड निर्धारित किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त कार्यक्रमों के आयोजन के लिए एजेसियों का चयन करने हेतु कोई प्रतिस्पर्धात्मक बोली आयोजित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उक्त एजेंसियों के चयन हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई गई है; और

(घ) क्या इस चयन प्रक्रिया पर भारत सरकार के सामान्य वित्त नियम लागू होते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(डॉ. राजकुमार रंजन सिंह)

(क) द्विपक्षीय, अनेकपक्षीय और बहुपक्षीय प्रारूपों में विभिन्न देशों के साथ बातचीत के संबंध में विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रमुख कार्यक्रमों में 2023 में 310 बैठकें (जी20 की 218 बैठकों सहित); 2022 में 75 बैठकें (जी20 की 9 बैठकों सहित); और 2021 में 260 बैठकें (कोविड महामारी के कारण वर्चुअल रूप से की गई 235 बैठकों सहित) शामिल हैं।

(ख) इनमें से प्रत्येक अनेकपक्षीय/बहुपक्षीय बैठक में भाग लेने वाले देश संबंधित समूह/तंत्र के मौजूदा सदस्य थे।

(ग) एवं (घ) जी हाँ। ऐसे कार्यक्रमों के संचालन के लिए एजेंसियों के चयन में भारत सरकार के सामान्य वित्तीय विनियम (जीएफआर) 2017 में निर्धारित मानदंडों का पालन किया जाता है।

*****